

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

NO. 6-9(131)/2005-E-III

दिनांक:-21/12/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- 'अचल संपत्ति' का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने विषयक

परिषद के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 (1)(ii) के (DOPT) के का0 ज्ञा0 सं0 11012/11/2007-Estt. (A) दिनांक 27/09/2011, के अनुसार 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्ति का वार्षिक विवरण "सीएसआईआर मुख्यालय के समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त किया जाना है। रुपये 4200/- व उससे अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी समूह 'क' और 'ख (Non-Gazetted सहित)' अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अचल संपत्ति संबंधी अपना विवरण केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन को निश्चित रूप से दिनांक 31 जनवरी 2016 तक प्रस्तुत करें।


अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर मुख्यालय और आईपीयू के सभी प्रभागीय प्रधान - इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई विषय-वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन स्टाफ के सभी सदस्यों की जानकारी में लाएं।
2. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय
3. महानिदेशक सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव(प्रशासन) का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव
7. वरिष्ठ उप सचिव (एच0 आर0)
8. उवर सचिव (पी0 डी0)
9. उप सचिव (के0 का0)
10. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय की वेबसाइट पर डालें।
11. नोटिस बोर्ड
12. कार्यालय प्रति